—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 8/2021

उनवान

बाबूलाल पुत्र बींजा जाति भांबी निवासी ग्राम भवानीखेडा, हाल निवासी 146/43 उपरला कुआं रामदेव मंदिर के पास धोलाभाटा, अजमेर।

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. गोपाल,
2. नाथी,
3. मेघराज,
4. बींजा पुत्र लक्ष्मी पुत्र भंवरलाल,
5. ज्ञानचन्द पुत्र रतना,
6. भंवरी पत्नी रतना
7. गोपाल पुत्र रतना जाति भांबी नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 5 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत,
8 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 28/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हल खाता संख्या 414 किता 6 रकबा 1.25 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा बंटवारा करने से मना कर दिया है व प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा भूमि पर दखलदांजी कर अन्यत्र हसतांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौके पर पारिवारिक सहमती से विभाजन हो गया है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा जवाबकर्ता के पक्ष में गिरवी रख दिया है। प्रार्थी का आराजी मुतनाजा पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी ने उधार दी गयी राशि चुकाने के बाद ही भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का करार किया है। प्रार्थी उक्त राशि नही चुकाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि चुकता की जाती है तो विभाजन से अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है अतः उसकी सहमती के बिना भूमि का बैचान नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण सकसा में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:35 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम भवानीखेडा के हल खाता संख्या 414 किता 6 रकबा 1.25 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौके पर पारिवारिक सहमती से विभाजन हो गया है। प्रार्थी ने अपना हिस्सा जवाबकर्ता के पक्ष में गिरवी रख दिया है। प्रार्थी का आराजी मुतनाजा पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त कथनों की ताईद में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थीगण को भूमि रहन रखने का कोई विधिक अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सहखातेदारी में है। प्रार्थी भी उक्त आराजी पर 1/3 हिस्से का सह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा उसका हिस्सा चिक्य नही किया जा सकता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण में विषम परिस्थितयॉ नही है जिसके आधार पर स्थगन आदेश पारित किया जाना आवश्यक अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखल करने के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। अप्रार्थीगण किस प्रकार आराजी मुतनाजा में दखलदांजी कर रहे है यह प्रार्थी सिद्व नही कर पाये है। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सह खातेदारी में है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम भवानीखेडा के हल खाता संख्या 414 किता 6 रकबा 1.25 आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:35 IST
Reason: SelfAttested